राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 38/2024

अपीलांटगण–
1. श्री नवाराम पुत्र चिमनाराम
2. श्री गणेशाराम पुत्र चिमनाराम
3. श्री निम्बाराम पुत्र मगनाराम
4. श्री गोपाराम पुत्र जोगाराम
5. श्रीमती मरगो पत्नी जोगाराम
6. श्री सांवलाराम पुत्र मगनाराम
   गोदपुत्र बीजाराम
   जातियान राईका, निवासीयान
   सिणली चौसीरा, तहसील
   पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1 श्री पाबुराम पुत्र कोलाराम
2 श्री नवाराम उर्फ नविया पुत्र बल्लुराम उर्फ बल्लू
3 श्री कूंपाराम पुत्र लूम्बाराम
4 श्री कानाराम पुत्र लूम्बाराम
5 श्री चेनाराम पुत्र कोलाराम
6 श्री बाबुराम उर्फ बाबु पुत्र बल्लु उर्फ बल्लुराम
7 श्री भगाराम पुत्र लूम्बाराम
8 श्री भैरा उर्फ मेहरा पुत्र बल्लु उर्फ बल्लुराम
9 श्री भाखरा उर्फ भाखरराम पुत्र बल्लु उर्फ बल्लुराम
10 श्री मूला उर्फ मुलाराम पुत्र बल्लु उर्फ बल्लुराम
11 श्री रतनाराम पुत्र कोलाराम
12 श्रीमती लेहरोदेवी पत्नी लूम्बाराम
13 श्री हरीराम पुत्र कोलाराम
14 श्री हीरा उर्फ हीराराम पुत्र बल्लु उर्फ बल्लूराम जातियान राईका, निवासीयान जमन की ढाणी सिणली चोसीरा तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा।
16. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार जसोल।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध विभाजन आदेश क्रमांक/राजस्व/2001/269 दिनांक 11.12.2001 जो तहसीलदार पचपदरा के अनुपालना में म्युटेशन संख्या 732 दिनांक 27.04.2002 उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री देवीसिंह महेचा, अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री ओमसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 14 की ओर से उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक : 09.09.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत तहसीलदार पचपदरा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2001/269 दिनांक 11.12.2001 जो तहसीलदार पचपदरा के अनुपालना में म्युटेशन संख्या 732 दिनांक 27.04.2002 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 14.08.2024 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा सिणली चौसीरा, तहसील पचपदरा के मूल खसरा नंबर 241 व 250 (नवीन खसरा संख्या 531/241 रकबा 1.8616 हैक्टेयर, 534/250 रकबा 1.8454 हैक्टेयर, 532/241 क्षेत्रफल 1.8616 हैक्टेयर तथा

जिला कलक्टर
बालोतरा

533/250 रकबा 1.8454 हैक्टयर) भूमि अवस्थित हैं। उक्त खसरा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोंडेंटगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि है। उक्त खसरान के अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित खसरान भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/राजस्व/2001/269 दिनांक 11.12.2001 पारित किया गया तथा उक्त विभाजन की अनुपालना में म्युटेशन संख्या 732 दिनांक 27.04.2002 उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया। अपीलांटगण ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 14 के योग्य अधिवक्ता ने जवाब में कथन किया कि अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की संयुक्त पैतृक भुमि के मूल खसरा नंबर 241 व 250 (नवीन खसरा संख्या 531/241 रकबा 1.8616 हैक्टयेर, 534/250 रकबा 1.8454 हैक्टयेर, 532/241 क्षेत्रफल 1.8616 हैक्टयर तथा 533/250 रकबा 1.8454 हैक्टयर) भूमि मौजा सिणली चौसीरा, तहसील पचपदरा में अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त शामलाती भूमि का विभाजन करते समय समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में स्वतंत्र सहमति प्राप्त कर उक्त विभाजन किया गया है। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा का आवेदन समस्त पक्षकरान ने स्वयं उपस्थित होकर अधीनस्थ तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने एवं प्रस्तुत आवेदन पर दर्शाई गई बंटवाड़ा को स्वतंत्र सहमति दिए जाने पर उक्त आलोच्य विभाजन को राजस्व अभिलेख व नक्शा में तरमीम करने हेतु आदेश किया गया था। वर्ष 2002 मे सहमति से अपीलांट व रेस्पोडेंटगण के खेत खसरा नंबर 241 व 250 के बंटवाडा कर अपीलांट को खसरा नंबर 531/241 व 534/250 दिये गये एवं रेस्पोडेंटगण को खसरा नंबर 532/241 व 533/250 खसरे हक हिस्से मे दिये गये। उपरोक्त बंटवाडा होने के बाद अपीलांट संख्या 6 सांवलाराम की माता ने वर्ष 2011 में एसबीबीजे शाखा जसोल से कृषि ऋण अपने हिस्से के खेत खसरा नंबर 531/241 व 534/250 पर लिया, जिसका म्युटेशन वर्ष 2012 में भरकर स्वीकृत किया गया तथा दिनांक 19.04.2017 में रेस्पोडेंटगण के हक हिस्से के खसरा संख्या 532/241 व 533/250 में से रेस्पोडेंटगण पाबुराम, रतनाराम, हरीराम व चेनाराम के पक्ष में उनकी बहने इंद्रादेवी, लीलादेवी व लीलादेवी ने हकतर्कनामा निष्पादित कर रेस्पोडेंट पाबूराम वगैरा के नाम अपना हिस्सा त्याग किया था, जिसमें साख अपीलांट सं. 6 सांवलाराम द्वारा डाली गयी थी। अपीलांटगण को किये गये बंटवाडा की जानकारी वर्ष 2002 से थी। उसके उपरांत वर्ष 2011 में कृषि ऋण लेने पर भी बंटवाडा की जानकारी थी एवं वर्ष 2017 में रेस्पोडेंटगण पाबूराम वगैरा के पक्ष में किये गये हकतर्क के समय अपीलांट द्वारा साख डालने पर भी अपीलांटगण को किये गये बंटवाडा की अच्छी तरह से जानकारी थी। अपीलांटगण ने अपील में गलत आधार बताकर लगभग 22 साल बाद अपील पेश की है। उक्त खसरान का विधिवत रूप आपसी सहमति से वर्ष 2001 को बंटवाड़ा हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाई जाकर, सुयुंक्त शामलाती कृषि भूमि का कब्जा काश्त एवं हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में अलम दरामद एवं नक्शे में तरमीम किया गया है। किसी भी आराजी का एक बार आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर दिया जाता है तो उसका पुनः बंटवाड़ा नहीं किया जा सकता। अतः उक्त आलोच्य विभाजन आदेश

जिला कलक्टर
बालोतरा

बहाल रखते हुए अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, आधारहीन होने से तथा म्याद बाहर होने से खारीज फरमावे।

5. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि मौजा सिणली चौसीरा, तहसील पचपदरा के मूल खसरा नंबर 241 व 250 (नवीन खसरा संख्या 531/241 रकबा 1.8616 हैक्टयेर, 534/250 रकबा 1.8454 हैक्टयेर, 532/241 क्षेत्रफल 1.8616 हैक्टयर तथा 533/250 रकबा 1.8454 हैक्टयर) भूमि अवस्थित हैं। उक्त खसरा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोंडेंटगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि है। अपीलांटस व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 14 के पिता/दादा लालाजी व हकमाजी पुत्र जोराजी की भूमि है। जिसमें अपीलांटगण लालाजी का परिवार है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 14 हकमाजी का परिवार है। उक्त मूल खसरा का विभाजन किया, जिसमें अपीलांटगण के हिस्से में खसरा नंबर 531/241 क्षेत्रफल 1.8616 हेक्टेयर व खसरा नंबर 534/250 क्षेत्रफल 1.8454 हेक्टेयर रखा गया तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 14 के हिस्से में खसरा नंबर 532/241 क्षेत्रफल 1.8616 हेक्टेयर व खसरा नंबर 533/250 क्षेत्रफल 1.8454 हेक्टेयर भूमि रखी गई। उक्त विभाजन की प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय में चाही गई, लेकिन उक्त आदेश से संबंधित रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया गया। उक्त विभाजन में हिस्से में कोई समस्या नहीं है। अपीलांटगण तथा रेस्पोडेंटगण को हिस्सा बराबर दिया गया है, लेकिन उक्त विभाजन मौके पर कब्जा काश्त के विपरित हुआ है। उक्त विभाजन आलोच्य ओदश की अनुपालना में रेस्पोडेंट संख्या 16 उप तहसीलदार जसोल द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 732 दिनांक 27.04.2002 को पारित किया है, जबकि बंटवाड़ा रेस्पोडेंट संख्या 15 तहसीलदार पचपदरा के आदेश केम्प सिणली जागीर की अनुपालना में नामान्तरणकरण खोला गया है। आलोच्य नामान्तरणकरण संख्या 732 के कॉलम संख्या 15 में बंटवाड़ा श्रीमान तहसीलदार महोदय पचपदरा के आदेश कैंप सिणली जागीर की अनुपालना में बंटवाड़ा खोला गया तथा रेस्पोडेंट संख्या 15 द्वारा दिनांक 27.04.2002 को स्वीकृत किया गया, जो पूर्ण रूप से बिना विधिक आधार के पारित किया गया है। अपीलांटगण के हक हिस्से की भूमि में टांके एवं मंदिर जिसमें चेहरमाता का मंदिर, लालाजी का मंदिर, गोगाजी का मंदिर, भवन, साल, खुला टीन शेड, कबुतरों को चुग्गा देने का चबुतरा, गायों के पानी पीने का हौद, स्नानगर, शोचालय इत्यादी बने हुए है तथा जिसका उपयोग उपभोग अपीलांटगण द्वारा किया जा रहा है, लेकिन रेस्पोडेंट गलत रूप से फर्जी बंटवाड़ा बता कर गलत तरमीम करवाई गई है। अपीलांटगण का कब्जा कास्त व उपयोग उपभोग पिछले 50 वर्षों से किये जा रहे है। इस प्रकार उक्त आलोच्य विभाजन मौका के कब्जा काश्त एवं राजस्व रेकर्ड के विपरित होने से अपास्त योग्य है। अतः अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर उक्त आलोच्य विभाजन कब्जा काश्त एवं राजस्व रेकर्ड के विपरित होने से उक्त आलोच्य विभाजन आदेश क्रमांक/राजस्व/2001/269 दिनांक 11.12.2001 तथा म्युटेशन संख्या 732 दिनांक 27.04.2002 को अपास्त करते हुए समस्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए नये सिरे से पुनः बंटवारा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा को पुनः पेषित(रिमांड) करने का आदेश पारित करावे।

6. रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 14 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की संयुक्त पैतृक भुमि के मूल खसरा नंबर 241 व 250 (नवीन खसरा संख्या 531/241 रकबा 1.8616 हैक्टयेर, 534/250 रकबा 1.8454 हैक्टयेर, 532/241 क्षेत्रफल 1.8616 हैक्टयर तथा 533/250 रकबा 1.8454 हैक्टयर) भूमि मौजा सिणली चौसीरा, तहसील पचपदरा में अवस्थित है। उक्त भूमि के समस्त पक्षकारान अपीलांट तथा रेस्पोडेंटगण तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र तथा विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण तथा रेस्पोडेंटगण के हस्ताक्षर मौजुद हैं। उप तहसीलदार जसोल द्वारा श्रीमान तहसीलदार पचपदरा के आदेश एवं निर्देश अनुसार बंटवाडा कर नामान्तकरण

जिला कलक्टर
बालोतरा

संख्या 732 दिनांक 27.04.2002 को स्वीकृत किया जो दोनो पक्षो की सहमति से स्वीकृत किया गया तथा उसी अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज व कास्त है एवं अपने अपने रहवासीय ठाव, मंदिर वगैरा बने हुए है। सिणली जागीर राजस्व कैम्प में तहसीलदार पचपदरा के आदेश व अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण सं. 1 ता 14 की सहमति से नामान्तकरण खोला जाकर बंटवाडा कर नामान्तकरण की स्वीकृति दी गयी थी। इसी कारण 22 साल तक इस बंटवाडा को लेकर किसी पक्षकार द्वारा उजर नहीं उठाया गया था। वर्ष 2002 मे सहमति से अपीलांट व रेस्पोडेंटगण के खेत खसरा नंबर 241 व 250 के बंटवाडा कर अपीलांट को खसरा नंबर 531/241 व 534/250 दिये गये एवं रेस्पोडेंटगण को खसरा नंबर 532/241 व 533/250 खसरे हक हिस्से मे दिये गये। उपरोक्त बंटवाडा होने के बाद अपीलांट सं. 6 सांवलाराम की माता ने वर्ष 2011 में एसबीबीजे शाखा जसोल से कृषि ऋण अपने हिस्से के खेत खसरा नंबर 531/241 व 534/250 पर लिया, जिसका म्युटेशन वर्ष 2012 में भरकर स्वीकृत किया गया तथा दिनांक 19.04.2017 में रेस्पोडेंटगण के हक हिस्से के खसरा संख्या 532/241 व 533/250 में से रेस्पोडेंटगण पाबुराम, रतनाराम, हरीराम व चेनाराम के पक्ष में उनकी बहने इंद्रादेवी, लीलादेवी व लीलादेवी ने हकतर्कनामा निष्पादित कर रेस्पोडेंट पाबूराम वगैरा के नाम अपना हिस्सा त्याग किया था, जिसमें साख अपीलांट सं. 6 सांवलाराम द्वारा डाली गयी थी। अपीलांटगण को किये गये बंटवाडा की जानकारी वर्ष 2002 से थी एवं उसके उपरांत वर्ष 2011 में कृषि ऋण लेने पर भी बंटवाडा की जानकारी थी एवं वर्ष 2017 में रेस्पोडेंटगण पाबूराम वगैरा के पक्ष में किये गये हकतर्क के समय अपीलांट द्वारा साख डालने पर भी अपीलांटगण को किये गये बंटवाडा की अच्छी तरह से जानकारी थी। केवल मात्र रेस्पोडेंटगण को तंग परेशान व खर्च से जैरबार करने की नियत से अपील पेश की गयी जो म्याद बाहर है। अपीलांटगण ने अपील में गलत आधार बताकर लगभग 22 साल बाद अपील पेश की है जो प्रथम दृष्टया म्याद बाहर है तथा अपीलांटगण द्वारा म्याद प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त बंटवाडा की जानकारी अपीलांटगण एवं उनके पूर्वजो को वर्ष 2002 से ही थी लेकिन बंटवाडा दोनो पक्षो की सहमति से होने के कारण उजर नहीं उठाया गया था। लगातार 22 साल तक निर्विवाद रुप से पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से पर काबिज कास्त रहे है और उसी अनुसार अपने अपने उपयोग हेतु मकान, मंदिर, चबूतरे व टांके आदि बनाये हुए है। उक्त खसरान का विधिवत रूप आपसी सहमति से वर्ष 2001 को बंटवाड़ा हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाई जाकर, सुयुंक्त शामलाती कृषि भूमि का कब्जे काश्त एवं हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में अलम दरामद एवं नक्शे में तरमीम किया गया है। उक्त वादग्रस्त शामलाती भूमि का विभाजन करते समय समस्त पक्षकारान की उपस्थिति में स्वतंत्र सहमति प्राप्त कर उक्त विभाजन किया गया है। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा का आवेदन समस्त पक्षकरारान ने स्वयं उपस्थित होकर अधीनस्थ तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने एवं प्रस्तुत आवेदन पर दर्शाई गई बंटवाड़ा को स्वतंत्र सहमति दिए जाने पर उक्त आलोच्य विभाजन को राजस्व अभिलेख व नक्शा में तरमीम करने हेतु आदेश किया गया था, जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 2001 से है। किसी भी आराजी का एक बार आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर दिया जाता है तो उसका पुनः बंटवाड़ा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अपीलांटगण द्वारा पेश की गई अपील झूठा व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर होने से खारीज योग्य है। अतः उक्त आलोच्य विभाजन आदेश एवं म्युटेशन बहाल रखते हुए अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, आधारहीन होने से तथा म्याद बाहर होने से खारीज फरमावे।

मैंने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा सिणली पीसीरा, तहसील

जिला कलक्टर
बालोतरा

पचपदरा के मूल खसरा नंबर 241 व 250 (नवीन खसरा संख्या 531/241 रकबा 1.8616 हैक्टयेर, 534/250 रकबा 1.8454 हैक्टयेर, 532/241 क्षेत्रफल 1.8616 हैक्टयर तथा 533/250 रकबा 1.8454 हैक्टयर) भूमि अवस्थित हैं। उक्त खसरा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोंडेंटगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि है। उक्त खसरान के अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित खसरान भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की पैतृक हैं। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/राजस्व/2001/269 दिनांक 11.12.2001 पारित किया गया तथा उक्त विभाजन की अनुपालना में म्युटेशन संख्या 732 दिनांक 27.04.2002 उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया। चूंकि अपीलांटगण की मुख्य आपत्ति है, कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा से तलब किया गया मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा के समक्ष अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से स्वंय अंगुठा/हस्ताक्षर कर विभाजन के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) के तहत आपसी सहमती बंटवाड़ा आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त खातेदारों के हस्ताक्षर के ताइद सरपंच, ग्राम पंचायत सिणली जागीर, पटवारी की जांच के उपरांत उक्त आलोच्य बंटवाड़ा आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित होना पाया गया। ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। इसके अलावा अपीलांटगण द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष 14.08.2024 को प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपीलाधीन आदेश की नकलें प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 03.06.2024 को होना प्रकट किया हैं, जबकि अधिवक्ता अपीलांट द्वारा जवाब एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा के समक्ष अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से स्वंय अंगुठा/हस्ताक्षर कर विभाजन के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) के तहत आपसी सहमती बंटवाड़ा आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर होना पाया गया। साथ ही उपरोक्त बंटवाडा होने के बाद अपीलांट संख्या 6 सांवलाराम की माता ने वर्ष 2011 में एसबीबीजे शाखा जसोल से कृषि ऋण अपने हिस्से पर लिया, जिसका म्युटेशन दिनांक 03.06.2012 को पारित किया गया तथा दिनांक 19.04.2017 में रेस्पोडेंटगण के हक हिस्से के खसरा संख्या 532/241 व 533/250 में से रेस्पोडेंटगण पाबुराम, रतनाराम, हरीराम व चेनाराम के पक्ष में उनकी बहिने ने हकतर्कनामा निष्पादित कर रेस्पोडेंट पाबूराम वगैरा के नाम अपना हिस्सा त्याग किया था, जिसमें साख अपीलांट संख्या 6 सांवलाराम द्वारा डाली गयी, होना पाया गया। इस प्रकार अपीलांटगण को किये गये बंटवाडा की जानकारी वर्ष 2002 से थी एवं उसके उपरांत वर्ष 2011 में कृषि ऋण लेने पर भी बंटवाडा की जानकारी थी एवं वर्ष 2017 मे रेस्पोडेंटगण पाबूराम वगैरा के पक्ष में किये गये हकतर्क के समय अपीलांट द्वारा साख डालने पर भी अपीलांटगण को किये गये बंटवाडा की अच्छी तरह से जानकारी थी, इससे साबित होता है कि अपीलांट को उक्त आलोच्य आदेश की जानकारी पूर्व मे थी। अपीलांटगण को पूर्व में जानकारी होने के पश्चात् भी लगभग उक्त आलोच्य आदेश के 22 वर्ष के बाद अपील पेश की गई है। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा इस अपील में

उक्त तथ्यों को छिपाते हुए मयाद के सम्बन्ध में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं हैं। अपीलाधीन आदेश के 22 साल बाद हस्तगत अपील पेश की गई हैं तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रतीत होता हैं कि अपीलांट्स की ओर से यह अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा जहां तक अपीलांटगण का कथन हैं कि मौके पर विभाजन अनुसार कब्जा–काश्त नहीं हैं तथा उसकी टांके, ढाणी, मंदिर आदि रेस्पोडेंटगण के हिस्से में आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव में हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट होता हैं कि तत्समय पटवारी द्वारा सम्पूर्ण रूप से मौका की जांच कर अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया हैं कि *"प्रत्येक सह खातेदार के हिस्से में आने वाली भूमि के रकबे एवं उसकी किस्म के अनुसार सही है जहां एक ही खसरा नम्बर के भाग किये गये हैं उसमें जो सीमाओं का विवरण बताया गया है वह ठीक हैं मौके पर उसी के अनुसार काबिज हैं तथा नक्शे में भी जो सीमाओं का विवरण दिया गया हैं वह भी मौके की स्थिति के अनुसार ही हैं।"* ऐसे में 22 वर्ष बाद अब मौके पर यदि किसी प्रकार का फेरबदल हो भी गया हैं कि आज के मौके की स्थिति को अपीलाधीन आदेश की सुसंगती में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता हैं। इस प्रकार अपीलांट की यह अपील मयाद बाधित हैं तथा विलम्ब का कोई ठोस एवं युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किये जाने से तथा अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने व सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।। पत्रावली फैसल शुमार हाकर नंबर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 09.09.2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा